

पंजीकृत संख्या DL (N) 04 / 0007/2003-11
REGISTERED NO. DL (N) 04 / 0007/2003-11

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खंड 1

PART II - Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13 नई दिल्ली, गुरुवार, 4 अगस्त, 2011 / 13 श्रावण, 1933 (शक)
No. 13 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 04, 2011 / SRAVANA 13, 1933 (SAKA)
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में देखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 4 अगस्त, 2011

अधिसूचना

F. No. P- 15025/41/2011-DFQC—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की द्वितीय अनुसूची में अधिनियमों एवं आदेशों तथा दूध एवं दूध उत्पाद विनियम, 1992 को 5 अगस्त, 2011 से निरस्त करती है।

(F.No. P-15025/41/2011-DFQC)

(अरुण पांडा)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव